जन जागरण पर्यावरण सुरक्षा

हाल ही में एक बड़े कार्यक्रम 'प्रेस से मिलिए' का आयोजन मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मंडल के क्षेत्रीय कार्यालय के माध्यम से किया गया। उद्देश्य था-प्रेस के माध्यम से जन जागरण कर पर्यावरण सुरक्षा के लिए जनभागीदारी का आह्वान। स्टेट मॉनीटरिंग कमेटी का गठन एनजीटी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ने मात्र पर्यावरण संबंधी शिकायतों के निराकरण के लिए नहीं किया है। कमेटी के गठन का मूल उद्देश्य पर्यावरण नियमों का राज्य द्वारा समुचित रूप से पालन का निरीक्षण और निर्देशन करना है। सभी नियमों में जन जागरूकता और जन सहयोग आवश्यक रूप से संकलित किए गए हैं। नियम कैसे बने या परिस्थितियां रहीं इसका संक्षिह्वश्वत वर्णन आगे करूंगा। इस लेख को लिखने का कारण मात्र इतना है कि जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा वह और विस्तार से जन साधारण तक पहुंच जाए। लगभग छह माह से नेशनल ग्रीन ट्रिबूनल द्वारा पारित आदेश के पालन में मॉनीटरिंग कमेटी के चेयरमैन की हैसियत से राज्य में हो रहे पर्यावरण नियमों के पालन की कार्यवाही का आकलन कर रहा हूं। कुल मिला कर कहूं तो कागजी कार्यवाही तो भरपूर हुई है पर जमीनी हकीकत कुछ और है। कुछ हद तक राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी, कुछ अधिकारियों, कर्मचारियों की कार्यपद्धति और शेष, जन साधारण से सहयोग प्राह्वश्वत न करना, प्रदेश की वर्तमान स्थिति के लिए जिमेदार है। ऐसा नहीं है कि धन व्यय नहीं हुआ, पर उसका जो लाभ होना चाहिए था, वह नहीं हुआ। मेरे आकलन में जो बिंदु उभरकर आए हैं उन्हें उल्लेखित करके यह अपेक्षा कर रहा हूं कि पर्यावरण की रक्षा हेतु सभी वर्ग से सयक प्रयास के लिए व्यक्ति सामने आएंगे। एक बात तो तय है कि विकास की सोच वालों ने भी पर्यावरण की वह चिंता नहीं की जैसी करनी चाहिए थी। वरना हमारे सुप्रीम कोर्ट को इस हेतु मॉनिटरिंग में 23 वर्ष नहीं लगाने पड़ते। जिस प्रकरण की बात कर रहा हूं वह सन् 1994 में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आया, केंद्र सरकार ने वर्ष 2000 में रूल्स बनाए, मगर पालन वर्ष 2014 तक नहीं हो पाया, बदली परिस्थितियों में 2016 में नए और वर्तमान रूल्स बने जिनके पालन कराए जाने संबंधी कार्यवाही नेशनल ग्रीन ट्रिबूनल को स्थानांतरित की गई। अब यही कार्यवाही का मूल्यांकन राज्यों में गठित मॉनीटरिंग समितियों के द्वारा किया जा रहा है। मेरा मत है कि लोगों को नियमों का ज्ञान क राकर, उन्हें जागरूक कर, प्रक्रिया में शामिलकर आगे बढ़ना चाहिये। बड़ी छोटी सी बात है, किसी छोटे से घर को भी आधुनिक सुविधाओं के लिए यदि रिनोवेट करवाना चाहें और विकल्प में रहवास का स्थान उपलध न हो तो उसी घर में रहते हुए, असुविधाओं को सहते हुए भी हम नव निर्माण कराते हैं, योंकि जानते हैं न कि जब निर्माण पूरा हो जाएगा तब लंबे समय तक आधुनिक घर में रहने का सुख मिलेगा। बस यही भाव तो बसे हुए शहरों के उन्नयन और आधुनिकीकरण के लिए जनता में पैदा करना जरूरी है। योजनाओं के बारे में जनता को समझाया जाना चाहिए, नियमों की जानकारी भी देना चाहिए और जनता को रूल्स की आवश्यकता समझा कर उससे सहयोग का आवाहन करना चाहिए। तो पहला बिंदु तो यही है, जन जागरूकता और जन सहयोग। मैंने अपनी हर मीटिंग में इस पर बल दिया है। कई उदाहरण भी दिए हैं, और अब इस माध्यम से भी यही प्रयास है। मेरा आह्वान युवाओं और किशोरवय से है योंकि जितने समझदार वे हैं उतने तो अनेक परिपव भी नहीं हैं। छोटे छोटे समूह में आपस में स्थान बदल बदल के यदि युवा शक्ति यह कार्य करे तो अपेक्षित परिणाम प्राह्वश्वत किए जा सकते हैं। बड़े-बड़े आंदोलनों में युवा शक्ति ने अपना गहरा प्रभाव छोड़ा है, वही युवा शक्ति यदि इस महायज्ञ में समिलित हो जाए तो आसमान से भी ऊंचा उठा जा सकता है। फिर नियमों में विशेष प्रावधान इस प्रकार से किए गए हैं जहां राजकीय अधिकारियों को समितियां बनाकर अनेक कार्यों का आकलन करना है। जागरूक नागरिक इस हेतु मांग करें तो प्रशासन को भी हरकत में आना ही होगा। यदि मांग करने पर जानकारी उपलध न कराई जाए, तो इसे भी नियमों का उल्लंघन माना एगा, जिसकी सूचना देने पर राज्य मानीटरिंग कमेटी कार्यवाही कर सकती है। उदाहरण के लिए बता सकता हूं कि नियमों में यह प्रावधान किया गया है कि हर जिले का जिलाधिकारी प्रत्येक नगर पालिका या फिर नगर निगम के द्वारा नियमों के क्रियान्वयन की मासिक समीक्षा, समिति की मीटिंग के माध्यम से करेगा। अब यदि समीक्षा ही न की जाए तो कमियों की जानकारी कैसे होगी। चलन में तो मात्र बनाई रिपोर्ट भर दिखा देना रहा है अभी तक, कोई समीक्षा होती तो नजर आई नहीं। यदि हुई होती तो न जाने कितनी ही अव्यवस्थाएं उजागर हो गई होतीं। पर इस पर अंकुश तो नियमों की जानकारी के आधार पर ही लगाया जा सकता है। या पर्यावरण रक्षा केवल सरकार का दायित्व है? जन साधारण स्वयं के लिए और आने वाली पीढ़ी के लिये किसी भी प्रकार से जवाबदार नहीं है? यही समझाना और पर्यावरण की सेहत का ध्यान रखने की जागरूकता पैदा करना मात्र ही आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। होता यह है कि कुछ संस्थाएं जैसे कि नगर निगम आदि किसी अवसर विशेष पर एकाध भर आयोजन करके समझती हैं कि उनका दायित्व पूर्ण हो गया, जबकि होना यह चाहिये कि ऐसे आयोजन सतत चलते रहना चाहिए। मगर शासकीय निकायों का मात्र यही एक कार्य तो नहीं है, वे अन्य जवाबदारियों को अनदेखा भी नहीं कर सकतीं। अत: यहीं पर युवाओं को आगे आना होगा। छोटे स्तर पर ही सही, अगली कड़ी के रूप में उस आयोजन को आगे बढ़ाएं। उदाहरण के लिए नगर निगम ने स्वच्छता दौड़ का आयोजन किया, अब उसमें साढ़े तीन लाख लोग दौड़े, एक रिकार्ड बन गया। यह रुकना नहीं चाहिए। साह्वश्वताहिक दौड़ों का आयोजन करना चाहिए, वरना तो लोग पहली दौड़ व उसके उद्देश्यों को भी भूल जाएंगे। एक अच्छी पहल का कोई लाभ नहीं होगा। हम नगर निगम से हमेशा दौड़ कराते रहने की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं? हम खुद से इसे आगे यों न बढ़ाएं। प्रबुद्धजन इसमें मार्गदर्शन दें व युवा इसका आयोजन करें। शासन के इस कार्य में सहयोग करें यह निर्देश प्राह्वश्वत किए जा सकते हैं, योंकि नेशनल ग्रीन ट्रिबूनल द्वारा ऐसे आदेश दिए गए हैं। ऐसे आयोजनों में व्यय बहुत अधिक तो नहीं होगा, औरजो व्यय हो भी वह समर्थजन सहयोग से पूर्ण कर सकते हैं। अभी हाल ही में कुछ संस्थाओं द्वारा वॉकाथॉन और मेगा ह्वश्वलांटेशन का आयोजन किया गया। अच्छा प्रयास है, मगर यह सतत चलते रहना चाहिए। रोपित पौधों की सुरक्षा की जवाबदारी भी सुनिश्चित की जाना चाहिए। बहुत बार देखा गया है कि उत्साहित होकर वृक्षारोपण तो बड़ी मात्रा में कया गया, पर सुरक्षा और देखभाल के अभाव में पौधे पल्लवित नहीं हो पाए। जल संरक्षण भी इसी क्रम में आता है, जिसके लिए अभियान चलाया जा हा है। मैं सोशल मीडिया का सामाजिक हित में उपयोग का पक्षधर हूं। मेरा आग्रह है सोशल मीडिया का प्रयोग जन जागरूकता में किया जाना चाहिए।

पर्यावरण को बचाने की कोशिशें तो खूब हुईं, मगर धरातल पर वे मूर्तरूप नहीं ले पाईं। सरकारों ने भी कानून बनाए, मगर जागरूकता के अभाव में वे भी असरकारी नहीं हैं। एक बात तो तय है कि विकास की सोच वालों ने भी पर्यावरण की वह चिंता नहीं की जैसी करनी चाहिए थी। अन्यथा हमारी धरती की ऐसी दुर्दशा कभी नहीं होती।

कंगना शर्मा (स्वतंत्र लेखाकार)

सम्पादकीय

घड़ियाली आंसू न बहाएं इमरान

अमेरिका गए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने आतंकवाद को लेकर ऐसी बातें कही हैं, जिसे अब तक कोई नहीं कह पाया था। इमरान की बातों में आतंक के खिलाफ दृढ़ इच्छाशक्ति कम बेबसी ज्यादा थी। उनके भाषण में ऐसा कुछ नहीं है, जिससे भरोसा किया जाए।

तरराष्ट्रीय मंचों पर भारत लगातार आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को बेनकाब करता रहा है। भारत का कहना है कि उसके पास इस बात के पुता साक्ष्य हैं कि आतंकी संगठन पाक की जमीन का भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें जैश- ए-मोह मद और जमात-उद दावा जैसी तंजीमें शामिल हैं। ये बात अलग है कि पाकिस्तान इस तरह के दावे से इंकार करता रहा है। लेकिन अमेरिकी दौरे पर गए पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने कहा कि यह बात सच है कि भारत में जैश से जुड़े हुए लोग वहां विध्वंसक कार्रवाई में शामिल हैं। इमरान खान ने कहा कि उनके देश में पिछली सरकारों ने अमेरिका को सच नहीं बताया। खासतौर से पिछले 15 वर्षों में। साथ ही उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में 40 अलग-अलग आतंकवादी समूह सक्रिय थे। खान ने कहा, पाक का 9/11 से कुछ लेना-देना नहीं था। अल-कायदा अफगानिस्तान में था। पाकिस्तान में कोई तालिबानी आतंकवाद नहीं था, लेकिन हम अमेरिका की लड़ाई में शामिल हुए। दुर्भाग्यवश जब चीजें गलत हुई तो हमने अमेरिका को जमीनी हकीकत से वाकिफ नहीं कराया। इमरान ने अपनी बात में भले ही आतंकवाद को खुलकर स्वीकार किया हो, मगर बचाव भी करते दिखे। इमरान कहते हैं कि जैश से जुड़े लोग भारत के खिलाफ काम कर रहे हैं। लेकिन एक सच यह भी है कि पाकिस्तान उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है जो किसी भी तरह की आतंकी घटनाओं में शामिल पाए गए हैं। जब भी भारत में आतंकी वारदात होती है तो भारतीय पक्ष की तरफ से पाकिस्तान को निशाना बनाया जाता है। लेकिन सच कुछ और है। आप जैश के खिलाफ बहुत सी बातें कर सकते हैं। लेकिन आप को खुली आंखों से भी देखना होगा। इमरान खान के अमेरिका रवाना होने से पहले पाकिस्तान की तरफ से जमात-उद-दावा के सरगना हाफिज सईद के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसे लाहौर में गिर तार कर लिया था। ये अलग है कि ज्यादातर लोगों की नजरों में पाकिस्तान की कार्रवाई अमेरिका की आंखों में धूल झोंकने की लगी। हाफिज सईद को अब तक आठवीं बार हिरासत या गिरतार किया गया। लेकिन वो बार बार किसी न किसी तरह से पाकिस्तान की जेल से बाहर आता रहा है। यह किसी से छिपा नहीं है। इमरान खान की बातों का सच यह है कि पाकिस्तान इस समय अपनी अर्थव्यवस्था को लेकर परेशान है। वो किसी भी कीमत पर आर्थिक मदद चाहता है। इसके लिए वो पैंतरे चल रहा है। एक तरफ उसे अमेरिका से भी मदद लेनी है। तो दूसरी तरफ पाकिस्तान में गहराई तक जड़ जमा चुके आतंकी संगठनों को भी देखना है। पाकिस्तान, आतंकी संगठनों और उनके आकाओं पर सीधी कार्रवाई भी नहीं कर सकता है योंकि आतंक के आका हाफिज सईद और मसूद अजहर धर्म का चोला पहन कर आम पाकिस्तानी लोगों के दिलों में भी उतर चुके हैं। यही वजह है कि आज इमरान घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं।